न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)
बइजलास– जगदीश प्रसाद गौड़, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 05/2023 जीसीएमएस नम्बर 2023/74

अपीलान्ट
1. प्रवीण सिंह पुत्र हिम्मत सिंह
जाति राजपूत निवासी हनुमानपुरा तहसील कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन।

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन जिला डीडवाना–कुचामन ।
2. पटवारी, पटवार हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी, जिला डीडवाना–कुचामन।

उपस्थित अधिवक्ता:–
1. अशोक पुरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. राज पैरोकार तहसीलदार कुचामन सरकार की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांक: 18.07.2024

1 यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन के प्रकरण संख्या 57/2022 बअनवान सरकार जरिये पटवारी सरगोठ बनाम श्री प्रवीण सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2022 के विरूद्ध पेश की है।

2 अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरगोठ की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय तहसीलदार कुचामन द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 09.11.2022 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 26.12.2022 द्वारा अपीलान्ट को ग्राम हनुमानपुरा के खसरा नं. 761 कुल रकबा 0.27 हैक्टर किस्म गै0मु0 श्मशान भूमि में से रकबा 0.15 हैक्ट0 भूमि पर से बेदखली के आदेश पारित किये गये है। अपीलान्ट का कथन है कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु समुचित अवसर दिये बिना ही दिनांक 26.12.2022 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित कर दिया गया। तथा ग्राम हनुमानपुरा के खसरा नं. 761 कुल रकबा 0.27 हैक्टर किस्म गै0मु0 श्मसान भूमि में से रकबा 0.15 हैक्ट0 भूमि पर से अपीलान्ट को बेंदखल कर लगान 0.60 का पचास गुणा से राशि रूपये 50 रूपये अक्षरे पचास रूपये जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:26 IST
Reason: SelfAttested

3 अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.01.2023 को मियाद [illegible] बिना [illegible] विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये स[illegible] सुनवाई हेतु त[illegible] किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक/राजस्व/2023/[illegible] दिनांक 26.12.2023 के द्वारा रिकार्ड इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

4 वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार कुचामन द्वारा निर्णय दिनांक 26.12.2022 अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट को आक्षेपित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी। वकील अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान अपील में विलम्ब के सम्बन्ध में जो कारण बताये गये है। वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होने से अपील में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5 बहस अधिवक्ता अपीलान्ट सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम हनुमानपुरा के खसरा नं. 761 रकबा 0.27 हैक्टर भूमि में से 0.15 हैक्टर भूमि पर बाड़ लगाकर नाजायज कब्जा कर रखा है, के संबंध में दौराने बहस यह बताया गया कि पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को गलत रिपोर्ट पेश की जिसमें भू.अ.निरीक्षक द्वारा टिप्पणी नहीं ली जाकर आनन–फानन में कार्यवाही प्रस्तावित की गयी है। अपीलार्थी अपने पिता की खातेदारी शुद्वा भूमि खसरा संख्या 1413/705 में काबिज है एवं कृषि कार्य करवा रहा है। पश्चिम दिशा में गै0मु0 श्मसान होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखली के आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है।

6 राजपैरोकार सरकार तहसीलदार कुचामन ने बताया कि उपरोक्त अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि गै0मु0 श्मशान दर्ज है उस पर रकबा 0.15 हैक्टर में बाड़ लगाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। अतिक्रमण के खिलाफ धारा 91 के तहत विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए बदेखली के आदेश पारित किये गये है।

7 अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राज पैरोकार की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का हनुमानपुरा की रिपोर्ट अनुसार मौजा हनुमानपुरा के खसरा न. 761 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर किस्म गै.मु. श्मशान में से रकबा 0.15 हैक्ट0 भूमि पर बाड लगाकर अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील जारी करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवसर प्रदान करने पर भी अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है।

8 प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया गया है। जो हटाना आवश्यक है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 में यह प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी भूमि पर बिना विधि संगत प्राधिकार के अधिवास या कब्जा कर रखा हो, उसे अतिचारी समझा जायेगा तथा उसे तुरन्त बेदखल किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। तहसीलदार को राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील में कोई सार नही होने से यह अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलांट को वेदखली का आदेश पारित किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

—:आदेश:—

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रकरण संख्या 57/2022 दिनांक 26.12.2022 उपर्युक्त विवेचनानुसार यथावत रखा जाकर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुहर से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुचामन सिटी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:20:26 IST
Reason: SelfAttested